



INTERIM REPORT

OF THE

SEVENTH STATE FINANCE COMMISSION

RAJASTHAN

(FOR 2025-26)

State Finance Commission,
Vitta Bhawan,
Janpath, Jaipur. (Raj)
Website: sfc.rajasthan.gov.in
Email: sfc-7@rajasthan.gov.in

JAIPUR
September, 2025

Interim Report

Preamble

1. The journey of fiscal decentralisation in Rajasthan has been shaped over three decades of practice since the 73rd and 74th Constitutional Amendments came into force. These landmark amendments gave Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies not only a constitutional identity but also a mandate to serve as the foundation of participatory governance. Successive Finance Commissions at the State level have carried this process forward by reviewing the fiscal capacity of local bodies and recommending ways to strengthen their resource base. The present Interim Report of the Seventh State Finance Commission is placed in this continuum, responding to the immediate requirement of guiding devolution for the financial year 2025-26.
2. Articles 243-I and 243-Y of the Indian Constitution requires every State to constitute a Finance Commission once in five years to review the financial position of rural and urban local bodies and recommend principles of resource sharing between the State and these institutions. In Rajasthan, each successive Commission has worked in the context during their respective tenure addressing the evolving needs of local governance, fiscal pressures on the state resources and expectations of the citizens. With the Sixth State Finance Commission having already laid a strong foundation for resource devolution, the Seventh State Finance Commission now takes up its work to ensure continuity, equity and adequacy in transfers to the rural and urban local bodies for the interim period of 2025-26.
3. In pursuance of the provisions of Articles 243-I and 243-Y of the Constitution of India, the Seventh State Finance Commission has been constituted by the order by His Excellency, the Governor of Rajasthan, vide Notification No. F7(1)FD/FC&EAD/SFC/2024 dated 01.08.2025 with a mandate to submit its report within one and a half years. The Terms

of Reference (ToR) of the Seventh State Finance Commission, broadly on the lines of those assigned to the Fifth and Sixth State Finance Commissions, requires the Commission to undertake a comprehensive review of the financial position of Panchayati Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies (ULBs) and to make recommendations on the following:

4. For Panchayati Raj Institutions (PRIs):

The Commission shall review the financial position of the Panchayats at all levels and make recommendations as to:

(a) the principles which should govern:

(i) the distribution between the State and the Panchayats at all levels of net proceeds of taxes, duties, tolls and fees leviable by the State, which may be divided between them under Part-IX of the Constitution and allocation between Panchayats at all levels of their respective shares of such proceeds;

(ii) the determination of taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to, or appropriated by, the Panchayats at all levels; and

(iii) the grants-in-aid to the Panchayats at all levels from the Consolidated Fund of the State.

(b) the measures needed to improve the financial position of the Panchayats.

5. For Urban Local Bodies (ULBs):

The Commission shall also review the financial position of the Municipalities at all levels and make recommendations as to:

(a) the principles which should govern:

(i) the distribution between the State and the Municipalities of net proceeds of taxes, duties, tolls and fees leviable by the State, which may be divided between them under Part-IX-A of the Constitution and

allocation between the Municipalities at all levels of their respective shares of such proceeds;

(ii) the determination of taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to, or appropriated by, the Municipalities; and

(iii) the grants-in-aid to the Municipalities from the Consolidated Fund of the State.

(b) the measures needed to improve the financial position of the Municipalities.

6. While making these recommendations, the Commission is mandated to take into account the financial resources of the State and its committed liabilities, the adjustment of grants to local governments as per the recommendations of the Sixteenth Finance Commission and fiscal transfers of state government, the revenue collection of the local governments during preceding five years, and the need for adopting a normative approach in assessing expenditure requirements.
7. The Seventh State Finance Commission, having been constituted recently, has initiated the process of data collection from PRIs and ULBs. For this purpose, structured questionnaires are being developed for each tier of PRIs and ULBs, with an emphasis on uniformity, to ensure accurate and comparable information. To expedite the process and minimise delays, data collection will be carried out primarily through an online platform, supplemented by field verification where necessary. This approach will enable a realistic assessment of the fiscal needs and capacities of local bodies. The Commission also intends to hold extensive consultations with stakeholders i.e. PRI's and ULB's, elected representatives, officials, and civil society organisations etc. to understand ground-level issues of financial management and service delivery.
8. The Seventh State Finance Commission is conscious of the fact that Rajasthan has recently undergone a major reorganisation of districts, and

proposed new Gram panchayats, Panchayat Samitis and Zila Parishads, which poses both challenges and opportunities for equitable devolution. In order to address the gaps arising from the use of older datasets, the Commission will rely not only on Census and published statistics, but also on block-level information and administrative records of the line departments. A digital platform will be developed for real-time data submission and validation, to enhance accuracy.

9. The Commission recognises that financial empowerment cannot succeed without institutional capacity. Therefore, the Commission will engage with local governments to identify capacity gaps in planning, budgeting and digital accounting and may recommend training and handholding mechanisms. A peer-learning model is also envisaged whereby high-performing PRIs and ULBs within the State can serve as benchmarks for others. By combining fiscal devolution with technology-enabled transparency, citizen accountability and capacity building, the Commission aims to lay a sustainable foundation for the third tier of governance in Rajasthan.
10. In accordance with the constitutional mandate, the release of funds to Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies is contingent upon the recommendations of the State Finance Commission. To avoid any disruption in the flow of funds and to enable local bodies to continue discharging their developmental and civic responsibilities, the State Government, through D.O. letter No. F7(1) FD/FC&EAD/SFC/2024 dated 13.08.2025 has requested the Commission to furnish an Interim Report for the financial year 2025-26. The present Interim Report is being submitted in response to this request.

State Finances

11. While the State Own Revenues (SoR) has experienced an average growth rate of 18 per cent between 2021-22 to 2025-26 (BE), the State finances have continued to remain under stress leading to revenue deficit during the considered period. While the share of revenue deficit as a percentage

of GSDP has come down from the COVID times of 3.64 per cent in 2019-20 and 4.32 per cent in 2021-22, it is still high at 2.32 per cent in 2022-23 and 2.56 per cent in 2023-24. The estimated revenue deficit to GSDP¹ ratio for 2024-25 (RE) is also 1.8 per cent.

12. The share of committed expenditure to revenue expenditure has been 53 per cent between 2019-20 to 2023-24 and has also grown at an average growth rate of 8 per cent. This has left limited scope for the State to enhance its revenue expenditure.
13. The horizontal share for Rajasthan recommended by the 15th Central Finance Commission was 6.02 per cent, higher than the 5.49 per cent recommended by the 14th Finance Commission. As a result, the quantum of transfers saw a sharp rise from 2021-22 onwards. This has resulted into a healthy growth of total revenues since 2021-22. However, the state has remained committed in adhering to the development priorities and has spent heavily on capital expenditure. A comparison between the capital outlay figures between 2021-22 and 2025-26 (BE) suggests a compounded annual growth rate (CAGR) of 17 per cent. Some of the major sectors which have accounted for an average of the total capital expenditure of 10 per cent or more between 2021-22 and 2024-25 (BE) include roads and bridges, water supply and sanitation, major irrigation, urban development, medical and health etc.
14. For honouring such heavy expenditure commitments, the ratio of fiscal deficit to GSDP for the state has remained above the FRBM prescribed limit of 3 per cent. The fiscal deficit to GSDP ratio for 2023-24 has been recorded at 4.31 per cent and has been budgeted at 4.11 per cent for 2024-25 (RE). This indicates limited fiscal space for the state to take up additional expenditure for the state.
15. The state has also been burdened with heavy debt burden. The ratio of outstanding liabilities to GSDP for Rajasthan has remained above all

¹ Figures are based on GSDP from Economic Review (2024-25)

India level and has been around the 35-40 per cent² mark. The high debt levels imply heavy repayment burden on the state in the coming years.

Approach and recommendations

16. Under the Terms of Reference, it is enjoined upon the Commission to determine the share of Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies of the net proceeds of taxes, duties, tolls and fees leviable by the State Government. It would be pertinent to mention that the Sixth State Finance Commission had recommended devolution of **7.25 per cent (Seven and a quarter per cent) of state's own net tax revenue (excluding GST compensation) for transfer to the local governments both PRIs and ULBs as grants enabling them to perform their functions efficiently** and the distribution of the amount between them in the ratio of **75.1 : 24.9** respectively in its final report.
17. However, the State Government agreed to **6.75 per cent for the year 2020-2021 to 2023-24 and 7 per cent for the year 2024-25** share for the devolution of funds between Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies in the ratio of **73.2:26.8 respectively** in the Action Taken Report submitted before the Rajasthan Legislative Assembly.
18. Therefore, based on the accepted devolution for financial year 2024-25, which is 7 percent, and the present status of the finances of the state, which is similar to 2024-25, the Commission finds it to appropriate to continue with the accepted recommendation for 2024-25 and recommend 7 per cent of State's net own tax revenue for devolution of funds to local bodies (urban and rural) for the financial years 2025-26.
19. Accordingly, owing to the accepted ratio as per the Action Taken Report of the State Government for 2024-25 for distribution of funds between Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies, which is 73.2:26.8, the Commission recommends the distribution of funds between Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies in the same ratio i.e. 73.2:26.8.

² RBI Study of State Budgets (2024-25)

20. The divisible pool has been quantified on the budgeted pre-actual figures of the State's Own Tax Revenue for the financial year 2024-25, being the latest actual financial data available for the financial year 2024-25. Accordingly, the State's net own tax revenue for the year 2024-25 has been worked out as follows:

Table 1: State own net tax Revenues (Rs. in crore)

Particulars	2024-25 (Pre-actual)
Own tax revenue	1,03,248.80
Cost of collection	3,278.76
Net own tax revenue	99,970.04

21. On the basis of the State's net own tax revenue as worked out above, the devolution of funds to the local bodies at the rate of **7 per cent for the financial year 2025-26 amounts to Rs.6,997.90 crore**. It is, however, clarified that these figures are subject to variation depending upon the actual receipts of the State during the year 2025-26. In line with the recommended population ratio of **73.2 : 26.8** the bifurcation of these funds between Panchayati Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies (ULBs) is as follows:

Table 2: Devolution of Funds recommended by Seventh State Finance Commission for 2025-26 (Rs. in crore)

Institutions	2025-26
Panchayati Raj Institutions	5,122.46
Urban Local Bodies	1,875.44
Total	6,997.90

22. The above-mentioned devolution of funds shall be **over and above** the grants provided by the State Government to Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies towards establishment and other committed expenditures.

23. It is further clarified that these devolutions are **provisional in nature** and subject to revision on the basis of the recommendations to be made by the Commission in its Final Report. Releases made by the State Government to the local bodies, as per the proposed devolution, if any, shall be duly adjusted against the allocations recommended under this Interim Report.

Utilization of funds

24. The Sixth State Finance Commission earmarked funds for Basic and Development Functions, National/State Priority Schemes/ Activities and Budget Announcements of the State Government, Gender Friendly Spaces and Incentive Grants/Performance Grant for the local bodies in the final report as follows;

Table 3: Priorities for utilization of funds recommended by Seventh State Finance Commission for 2025-26 (Per cent)

Institutions	Basic and Development Functions	National/State Priority Schemes/ Activities and Budget Announcements	Gender Friendly Spaces	Incentive Grant/Performance Grant
Panchayati Raj Institutions	55	40	2	3
Urban Local Bodies	75	20	2	3

This Commission also recommends the earmarking of devolution of funds as above on interim basis.

A. Basic and Development Functions

25. The local bodies both rural and urban are required to deliver basic civic services of public health, sanitation, solid waste management, drainage and sewerage, cleaning public streets, removing filth, rubbish, lighting public streets, extinguishing fires and protecting life and property when a fire occurs, regulating offensive or dangerous trades, disposal of dead animals, constructing public conveniences, registering birth and deaths, etc. Additionally, improvement in air quality is also the added responsibility of Million-Plus Municipal Corporations as per XV FC mandate. Therefore, a major portion of funds has been earmarked for these functions.

B. National/State Priority Schemes/Activities and Budget Announcement of the State Government

26. It is appropriate to add Budget Announcements made by the State Government along with the National/State Priority Schemes/Activities recommended by the Sixth State Finance Commission. The recommended funds can be utilized for National/State Priority Schemes/Activities and Budget Announcements in larger public interest.

C. Gender-Friendly Spaces

27. In line with the decision taken at the 2nd National Conference of Chief Secretaries (New Delhi, January 5–7, 2023) on Women Empowerment, one of the key action points identified was the creation of an enabling ecosystem for the safety and economic empowerment of women. For this purpose, the 6th State Finance Commission had recommended earmarking **2 per cent of the grant amounts of Panchayati Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies (ULBs)** for activities directed towards creating *gender-friendly spaces*. The Panchayati Raj

Department, vide its letter dated 23.05.2023, had also conveyed to operationalize this earmarking.

28. The Seventh State Finance Commission, while preparing its **Interim Report for 2025–26**, considers it appropriate to **retain this earmarking** as an interim measure until the Final Report is submitted. Accordingly, the Commission reiterates that **2 per cent of devolved funds shall be earmarked** for the following purposes across PRIs and ULBs:

- I Separate toilet along with hand-washing facilities in every Panchayati Raj Institution.
- II All workplaces to have display board containing relevant information regarding Internal Committees for redressal of grievances relating to women harassment.
- III Every office to have a Help Desk headed by women which should have all the information about schemes/ programmes of women welfare and to facilitate redressal of their grievances.
- IV All offices of Panchayati Raj Institutions to have separate seating arrangements for women visitors.

The Commission expects local bodies to ensure effective utilization of this earmarked amount and to contribute meaningfully towards building safer and more inclusive public institutions. The activities listed from (I) to (IV) above will also be applicable in respect of Urban Local Bodies.

D. Incentive Grants/Performance Grant

29. The 6th State Finance Commission had recommended earmarking **3 per cent of funds as incentive grants** to PRIs and ULBs, linked to improvements in revenue performance—specifically, raising own tax/non-tax revenues and recovery of arrears. For the award period 2020–25, this scheme was structured to promote fiscal responsibility and self-reliance.

30. The Seventh State Finance Commission acknowledges the importance of **sustaining this momentum** during the interim period too. Therefore, for the financial year 2025–26, the Commission proposes to **retain the incentive scheme in its existing form** with emphasis on measurable improvements in own source of revenue collection by both PRI's and ULB's. In the case of ULBs, the Commission also notes that the Central Finance Commission has linked the release of grants to property tax reforms and yearly increments aligned with GSDP growth. Hence, the continuation of this incentive scheme during the interim year will further encourage both rural and urban local bodies to strengthen revenue mobilization and fiscal discipline.

Devolution to Panchayati Raj Institutions

31. The Sixth State Finance Commission recommended distribution ratio of 5:20:75 among Zila Parishads, Panchayat Samitis and Gram Panchayats respectively. The present Commission recommends the same ratio for distribution of funds among the three tiers of Panchayati Raj Institutions. The allocation of funds to three tiers of Panchayati Raj Institutions works out as under:

Table 4: Distribution of SFC funds devolved to PRIs for 2025-26 (Rs. In crores)

	55 % for Basic and Development Functions	40% for National/State Priority Schemes/Activities	3% for Gender Friendly Spaces	2% for Incentive Grant/Performance Grant	Total
Zila Parishad (5%)	141	102	8	5	256
Panchayat Samiti (20%)	563	410	31	20	1,024
Gram Panchayat (75%)	2,113	1,537	115	77	3,842
Total	2,817	2,049	154	102	
Total SFC devolution to PRI's					5,122

Parameters and weights for district wise distribution for Panchayati Raj Institutions

32. For the financial year 2025–26, the Commission has carefully examined the available options for district-wise allocation of funds to Panchayati Raj Institutions. Considering the challenges of updated data availability for all 41 districts and in order to ensure continuity in transfers, the Commission recommends retaining the parameters adopted by the Sixth State Finance Commission for inter-se distribution of funds among 33 districts.

Table 5: Criteria for distribution of devolved funds to PRIs across districts

S.No.	Parameters	Weights (%)
1.	Population	40
2.	Geographical Area	25
3.	S.C. Population	5
4.	S.T. Population	5
5.	Girls Education (up to class 8)	5
6.	Deprivation on 7 criteria as per SECC-2011 ³	10
7.	Average own revenue mobilization (2015-20)	10
	Total	100

33. The Commission believes that continuing with these parameters during the interim period will ensure stability in devolution and avoid delays in fund flow to PRIs, while providing sufficient time to develop refined and updated criteria for the new districts based on the proposed Gram Panchayats, Panchayat Samitis and Zila Parishads. Based on the parameters and district wise composite weights recommended by the VI SFC, the district wise share and amount for the financial years 2025-26 works out as under:

³ Socio Economic and Caste Census (SECC)

Table 6: Inter-se share of funds for PRIs across districts for 2025-26

S.No.	District (Zila Parishad)	District wise Composite Weight (%)	District wise Allocation (Rs. in Crore)
1	Ajmer	3.068	157.16
2	Alwar	4.453	228.10
3	Banswara	3.369	172.58
4	Baran	2.037	104.35
5	Barmer	5.377	275.43
6	Bharatpur	2.783	142.56
7	Bhilwara	3.557	182.22
8	Bikaner	4.312	220.89
9	Bundi	2.321	118.89
10	Chittorgarh	2.527	129.45
11	Churu	3.102	158.90
12	Dausa	2.295	117.56
13	Dholpur	1.520	77.86
14	Dungarpur	2.601	133.25
15	Ganganagar	2.915	149.32
16	Hanumangarh	2.673	136.92
17	Jaipur	5.367	274.94
18	Jaisalmer	3.660	187.49
19	Jalore	3.042	155.83
20	Jhalawar	2.158	110.55
21	Jhunjhunu	2.366	121.21
22	Jodhpur	4.964	254.29
23	Karauli	2.229	114.18
24	Kota	1.622	83.09
25	Nagaur	4.605	235.91
26	Pali	3.302	169.15
27	Pratapgarh	1.738	89.03
28	Rajsamand	1.839	94.20
29	S. Madhopur	1.865	95.53

S.No.	District (Zila Parishad)	District wise Composite Weight (%)	District wise Allocation (Rs. in Crore)
30	Sikar	3.034	155.43
31	Sirohi	1.834	93.95
32	Tonk	2.474	126.73
33	Udaipur	4.988	255.51
	Total	100	5122.46

34. Further inter-se distribution of the amount among the Panchayat Samitis and Gram Panchayats is continued to be made on the basis of population of the concerned Panchayat Samiti and Gram Panchayat as per Census-2011.

Devolution to Urban Local Bodies

35. For the financial year 2025–26, the share of devolution earmarked for Urban Local Bodies (ULBs) works out to **Rs. 1,875.44 crore**. In order to maintain continuity and ensure smooth flow of resources across all tiers of urban governance, the Commission recommends **retaining the same ratio of distribution among the three levels of ULBs—Municipal Corporations, Municipal Councils and Municipalities—as prescribed by the Sixth State Finance Commission.**

36. The **Sixth State Finance Commission** had recommended that **70 per cent of the divisible pool for Urban Local Bodies (ULBs)** be distributed among all ULBs, while the **remaining 30 per cent** be earmarked exclusively for Municipalities, in recognition of their comparatively narrow resource base and weaker financial position. For the financial year **2025–26**, the **Seventh State Finance Commission** recommends **retaining the same distribution formula.**

37. For this purpose, the **Census 2011 population figures** have been adopted as the uniform reference, as suggested in the ToR.

- **70% of the divisible pool for ULBs:** To be distributed among all Urban Local Bodies on the basis of:
 - **Population – 55%**
 - **Area – 15%**
- **30% of the divisible pool for ULBs:** To be distributed among Municipalities on the basis of:
 - **Population – 20%**
 - **Deviation in own income – 10%** (calculated on the basis of deviation of the five-year (2015-2020) average per capita own income of a Municipality from the Municipality having the highest average per capita own income).

38. Utilisation of funds by Urban Local Bodies

Out of the total devolution recommended for **Urban Local Bodies**, the Commission proposes the following allocations:

- **75 per cent for Basic and Development Functions,**
- **20 per cent for National/State Priority Schemes/Activities and Budget Announcement of the State Government**
- **2 per cent for the creation of Gender Friendly Spaces, and**
- **3 per cent for Incentive/Performance Grants.**

The funds earmarked under the **Incentive/Performance Grant** shall be utilized by the Urban Local Bodies in accordance with the framework outlined in **Para 30 of this Report**.

39. Based on the foregoing discussions and the parameters adopted, the share of **Urban Local Bodies** for the financial year **2025-26** has been worked out as under:

Table 7: Distribution of funds devolved by Seventh State Finance Commission for ULBs (Rs. in crore)

S.no	Categories/ Parameters	Municipal Corporation	Municipal Councils	Municipalities	Total
1	55% on Population	459.04	327.80	244.65	1,031.49
2	15% on Area	64.92	168.13	48.27	281.32
3	Balance 30% for Municipalities			562.63	562.63
4	Total Funds	523.96	495.93	855.55	1,875.44
Out of the total funds, utilization is proposed as under					
A	Funds for Basic and Development Functions (75%)	392.97	371.95	641.66	1,406.58
B	Grants for National/ State Priority Schemes/Activities and Budget Announcement of State Govt. (20%)	104.79	99.19	171.11	375.09
C	Gender Friendly Spaces (2%)	10.48	9.92	17.11	37.51
D	Incentive Grants/Performance Grant (3%)	15.72	14.88	25.67	56.26

40. It has been observed that certain municipalities are facing constraints in delivering **sanitation services** owing to limited financial resources. Since sanitation constitutes one of the most essential civic functions, the Commission recommends that, as an interim arrangement, municipalities may utilize a part of the grants devolved to them, including towards the **wage component**, to ensure continuity of these services as recommended by the Sixth SFC.

Fifteenth Central Finance Commission Grants

41.As per the Budget Estimates of financial year 2025-26, the Fifteenth Central Finance Commission grant for Panchayati Raj Institutions and Urban local bodies, for the financial years 2025-26 is as follows:

Table 8: Grants recommended by 15th Finance Commission (Rs. in crore)

Institutions	2025-26 (B.E)
Panchayati Raj Institutions	3087.00
Urban Local Bodies	1818.47
Total	4905.47

42.The above grants are in addition to the grants recommended in this interim report. The inter-se distribution of Fifteenth Central Finance Commission grants for local bodies is made on the basis of criteria and norms recommended by this Commission, subject to fulfillment of the conditions as laid down by the Fifteenth Central Finance Commission.

43.In continuation with the recommendation of the Sixth State Finance Commission no funds should be spent on personal needs/requirements of any person, official or public representatives except specifically authorized by the State Government. Similarly, no funds should be spent on display advertisements, purchase of vehicle, payment of salaries and allowances to employees (other than sanitation staff and those specifically authorized by the State Government) out of State Finance Commission grants.

44.The recommendations of the Seventh State Finance Commission are effective from financial year 2025-26 as mandated in the Governor's order of 01.08.2025. The Commission would like to reiterate that these

will be subject to changes, as might be considered necessary, in the final report.

45. As per Governor's order dated 01.08.2025, the tenure of the Commission is for one and half year. Our efforts would be to give the final report by the stipulated date. However, if the final report gets delayed due to unforeseen reasons beyond control, the Commission would not like the local bodies to face problems of funds. Therefore, to obviate any such contingency the Commission recommends that till the final report is available the ratio of state's net own tax revenue, the share, the formula of distribution and all other parameters as recommended by this Commission in this Interim Report may remain in force for transfer of funds to these local bodies.

Summary of Recommendations

46. The Summary of recommendations for financial year 2025-26 is as follows:

47. An allocation of 7 percent of the State's net own tax revenue, amounting to Rs. 6997.90 crore for the financial year 2025-26. (Para 21)

48. It is recommended that the allocated amount be distributed between Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies in accordance with the rural-urban population ratio of 73.2:26.8. Based on this proportion, the allocation for the financial year 2025-26 would amount to Rs. 5122.46 crore for Panchayati Raj Institutions and Rs. 1875.46 crore for Urban Local Bodies (Table 2)

49. It is proposed that 55 percent of the recommended amount be allocated towards funding Basic and Development Functions, 40 percent towards supporting National and State Priority Schemes/Activities and the Budget Announcements of the State Government, 2 percent for the creation of

Gender-Friendly Spaces, and 3 percent as an incentive grant to Panchayati Raj Institutions for the performance of specified tasks (Table 3).

50. It is proposed 75 percent of recommended amount may be released as funds for Basic and Development Functions, 20 percent for supporting National/State Priority Schemes/Activities and Budget Announcement of State Government and 2 percent for creating Gender Friendly Spaces and 3 percent as Incentive grant for performance of specified tasks to Urban Local Bodies. (Table 3)
51. The distribution of funds among the tiers of Panchayati Raj Institutions shall be as follows: 5% for Zila Parishads, 20% for Panchayat Samitis, and 75% for Gram Panchayats. (Table 4)
52. The district-wise distribution of Panchayati Raj Institutions share is to be made on parameters and weights recommended. (Table 5)
53. Of the recommended devolution to Urban Local Bodies, 70 percent may be allocated to all Urban Local Bodies based on population (55 percent) and area (15 percent). The remaining 30 percent may be distributed among all Municipalities based on population (20 percent) and in proportion to the deviation of their five-year average per capita own income from that of the Municipality with the highest average per capita own income (10 per cent). (Para 37)

54.The Municipalities may meet financial requirements of sanitation services including wage component from our recommended grant. (Para 40)

55.The Fifteenth Central Finance Commission grants for the financial year 2025–26 may be distributed to Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies, subject to the fulfilment of the conditions prescribed by the Commission, in accordance with the parameters and weightages recommended by the Sixth State Finance Commission (Para 41 and 42).


56.Funds shall not be utilized for personal expenses of any individual, official, or public representative. (Para 45)

57.The recommendations presented in this Interim Report may remain effective until the availability of the final report. (Para 45)



(Arun Chaturvedi)

Chairman



(Naresh Kumar Thakral)

Member Secretary

Jaipur

September 01, 2025



सप्तम
राज्य वित्त आयोग राजस्थान
का
अंतरिम प्रतिवेदन
(वर्ष 2025-26 के लिए)

राज्य वित्त आयोग, वित्त भवन,
जनपथ, जयपुर। (राज)
वेबसाइट: sfc.rajasthan.gov.in
ईमेल: sfc-7@rajasthan.gov.in

जयपुर
सितंबर, 2025

अंतरिम रिपोर्ट

प्रस्तावना

1. राजस्थान में राजकोषीय विकेंद्रीकरण की यात्रा तीन दशकों से अधिक समय में विकसित हुई है, जो कि 73वें और 74वें संविधान संशोधनों पर आधारित है। इन महत्वपूर्ण संशोधनों के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को न केवल एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, बल्कि इन संस्थानों को सहभागी शासन के आधार के रूप में स्थापित किया गया। राज्य स्तर पर क्रमिक राज्य वित्त आयोगों द्वारा स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमताओं की समीक्षा करते हुए इनकी राजस्व आधार को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। सप्तम राज्य वित्त आयोग की वर्तमान अंतरिम रिपोर्ट इसी निरंतरता में प्रस्तुत की गई है ताकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राशि हस्तांतरण की आवश्यकता पूरी हो सके।
2. भारतीय संविधान के पैरा 243-1 और 243-Y के अनुसार, प्रत्येक राज्य को पाँच वर्ष में एक बार राज्य वित्त आयोग का गठन करना होता है, जो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है तथा राज्य और इन संस्थाओं के बीच संसाधनों के वितरण के सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। राजस्थान में, प्रत्येक क्रमिक राज्य वित्त आयोग द्वारा इस संदर्भ में कार्य करते हुए, राज्य के वित्तीय संसाधनों पर दबाव, नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप स्थानीय प्रशासन की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। छठे राज्य वित्त आयोग द्वारा संसाधनों के हस्तांतरण हेतु रखी गई मजबूत नींव पर सातवें राज्य वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2025-26 की अंतरिम अवधि के लिए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को संसाधनों के हस्तांतरण में निरंतरता, समानता और पर्याप्तता को सुनिश्चित किया जाना है।
3. भारतीय संविधान के पैरा 243-1 और 243-Y के प्रावधानों के अनुसरण में, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल के आदेशानुसार, अधिसूचना संख्या F7(1)FD/FC&EAD/SFC/2024 दिनांक 01.08.2025 के द्वारा सातवें राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसे डेढ़ वर्ष की अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। सातवें राज्य वित्त आयोग की संदर्भ की शर्तें (ToR) मोटे तौर पर पाँचवें और छठे राज्य वित्त आयोगों की संदर्भ शर्तों के अनुरूप हैं। इन

शर्तों के तहत आयोग से पंचायती राज संस्थाओं (PRI) और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) की वित्तीय स्थिति की व्यापक समीक्षा करने और निम्नलिखित पर अनुशंसाएँ करने की अपेक्षा की गई है:

4. पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के लिए:

आयोग सभी स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और निम्नलिखित विषयों के संबंध में अनुशंसाएँ करेगा:

(क) ऐसे सिद्धांत जिनसे निम्नलिखित शासित होंगे:

(i) राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीस के शुद्ध आगमों का राज्य और सभी स्तरों पर पंचायतों के मध्य वितरण, जो संविधान के भाग-9 के अधीन उनके मध्य विभाजित किए जा सकेंगे, तथा ऐसे आगमों का सभी स्तरों की पंचायतों के मध्य उनके अपने-अपने अंशों का आवंटन।

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण, जो सभी स्तरों पर पंचायतों को अनुदिष्ट किए जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किए जा सकेंगे।

(iii) राज्य की संचित निधि में से सभी स्तरों पर पंचायतों को सहायता अनुदान।

(ख) पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपाय।

5. शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के लिए:

आयोग सभी स्तरों पर नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन भी करेगा और निम्नलिखित विषयों के संबंध में अनुशंसा करेगा:-

(क) ऐसे सिद्धान्त जिनसे निम्नलिखित शासित होंगे:-

(i) राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का राज्य और नगरपालिकाओं के मध्य वितरण, जो संविधान के भाग-9 के अधीन उनके मध्य विभाजित किये जा सकेंगे और ऐसे आगमों का सभी स्तरों की नगरपालिकाओं के मध्य उनके अपने-अपने अंशों का आवंटन,

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण, जो नगरपालिकाओं को

समनुदेशित किये जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किये जा सकेंगे, और

(iii) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान।

(ख) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक अध्यापय।

6. उपरोक्त सुझाव देते समय, आयोग के द्वारा वित्तीय संसाधनों और उसकी प्रतिबद्ध देनदारियों, सोलहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय सरकारों को अनुदानों के समायोजन और राज्य सरकार के राजकोषीय हस्तांतरण, पिछले पाँच वर्षों के दौरान स्थानीय सरकारों के राजस्व संग्रह और व्यय आवश्यकताओं के आकलन में एक मानक दृष्टिकोण अपनाना अपेक्षित है।
7. नवगठित सातवें राज्य वित्त आयोग के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों से आँकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस उद्देश्य से, त्रुटिरहित, तुलनात्मक एवं एकरूप सूचनाएँ सुनिश्चित करने के लिए, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर के लिए संरचित प्रश्नावली तैयार की जा रही है। सूचनाओं की शीघ्र प्राप्ति और देरी कम करने के लिए, आँकड़े एकत्र करने का कार्य मुख्य रूप से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा और आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय सत्यापन भी किया जाएगा। इस प्रक्रिया से स्थानीय निकायों की वित्तीय आवश्यकताओं और क्षमताओं का वास्तविक मूल्यांकन संभव हो सकेगा। आयोग स्थानीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन और सेवा उपलब्ध कराने संबंधी आधारभूत मुद्दों को समझने के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिक संगठनों के साथ व्यापक परामर्श करने का विचार रखता है।
8. सातवाँ राज्य वित्त आयोग इस तथ्य से अवगत है कि हाल ही में राजस्थान में जिलों का पुनर्गठन हुआ है और नई ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का गठन किया जाना प्रस्तावित है, जिससे समानुपाती हस्तांतरण के लिए चुनौतियाँ और अवसर दोनों उत्पन्न हुए हैं। पुराने आंकड़ों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली संभावित कमियों से बचने के लिए आयोग ना केवल जनगणना और प्रकाशित आंकड़ों का उपयोग करेगा, बल्कि ब्लॉक स्तर की सूचनाओं और संबंधित विभागों के प्रशासनिक रिकॉर्ड भी उपयोग करेगा। वास्तविक समय में सूचनाये प्राप्त करने और सूचनाओं के सत्यापन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा ताकि सूचनाओं की शुद्धता बढ़ सके।

9. राज्य आयोग का यह मानना है कि संस्थागत क्षमता के बिना वित्तीय सशक्तिकरण सफल नहीं हो सकता। आयोग द्वारा इस हेतु स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर योजना, बजट और डिजिटल लेखांकन में क्षमता संबंधी कमियों की पहचान करने और प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन के तरीको के संबंध में सुझाव दिए जा सकते हैं। एक सहकर्मि-शिक्षण मॉडल की भी परिकल्पना की गई है, जिसके तहत राज्य के उच्च प्रदर्शन करने वाले पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय दूसरों के लिए अनुकरणीय बन सकते हैं। राजकोषीय हस्तांतरण को प्रौद्योगिकी-सक्षम पारदर्शिता, नागरिक जवाबदेही और क्षमता निर्माण के साथ जोड़कर, आयोग का लक्ष्य राजस्थान में शासन के तीसरे स्तर के लिए एक स्थायी आधार तैयार करना है।
10. संवैधानिक अनिवार्यता के अनुसार, पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को राशि की जारी करने की प्रक्रिया राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करती है। राशि के प्रवाह में किसी भी व्यवधान से बचने और स्थानीय निकायों को अपनी विकासात्मक और नागरिक उत्तरदायित्वों के निर्वाहन रखने में सक्षम बनाने के लिए, राज्य सरकार ने पत्र संख्या F7(1) FD/FC&EAD/SFC/2024 दिनांक 13.08.2025 के द्वारा आयोग को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। वर्तमान अंतरिम रिपोर्ट इस अनुरोध के क्रम में प्रस्तुत की जा रही है।

राज्य वित्त

11. यद्यपि राज्य के स्वयं के राजस्व में वर्ष 2021-22 से 2025-26 (BE) के मध्य 18 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर्ज की गई है तथापि राज्य के वित्तीय स्रोत लगातार दबाव में बने रहे हैं जिससे विचारित अवधि के दौरान राजस्व घाटा परिलक्षित हुआ है। 2019-20 और 2021-22 में COVID के समय में GSDP के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा 3.64 प्रतिशत और 4.32 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 2.32 प्रतिशत और 2023-24 में 2.56 प्रतिशत पर आया है, परन्तु यह अभी भी अधिक है। 2024-25 (RE) के लिए अनुमानित राजस्व घाटे का GSDP अनुपात भी 1.8¹ प्रतिशत है।
12. वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच, प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा राजस्व व्यय का 53 प्रतिशत रहा है और इसकी औसत वृद्धि दर 8 प्रतिशत रही है। इससे राज्य को अपने राजस्व व्यय को बढ़ाने की सीमित गुंजाइश बचती है।

1. आंकड़े आर्थिक समीक्षा (2024-25) के GSDP पर आधारित हैं

13. 15वें केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा राजस्थान के लिए अनुशंसित (Horizontal share) 6.02 प्रतिशत था, जो 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 5.49 प्रतिशत से अधिक था। परिणामस्वरूप, 2021-22 के बाद से हस्तांतरण की मात्रा में तीव्र वृद्धि देखी गई। इसके परिणामस्वरूप 2021-22 से कुल राजस्व में अच्छी वृद्धि हुई है। हालाँकि, राज्य विकास प्राथमिकताओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है और पूंजीगत व्यय में भारी खर्च किया गया है। वर्ष 2021-22 और 2025-26 (बजट अनुमान) के बीच पूंजीगत परिव्यय के आंकड़ों की तुलना 17 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) परिलक्षित होता है। कुछ प्रमुख क्षेत्र जिन्होंने 2021-22 और 2024-25 (बजट अनुमान) के बीच कुल पूंजीगत व्यय का औसतन 10 प्रतिशत या उससे अधिक व्यय हुआ है, उनमें सड़कें और पुल, जल आपूर्ति और स्वच्छता, वृहद सिंचाई, शहरी विकास, चिकित्सा और स्वास्थ्य आदि शामिल हैं।
14. इतनी भारी व्यय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए, राज्य के राजकोषीय घाटे और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात एफआरबीएम द्वारा निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा से ऊपर बना हुआ है। 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात 4.31 प्रतिशत दर्ज किया गया है और 2024-25 (संशोधित अनुमान) में इसे 4.11 प्रतिशत पर अनुमानित किया गया है। यह दर्शाता है कि राज्य के पास अतिरिक्त व्यय करने के लिए सीमित राजकोषीय संसाधन ही उपलब्ध है।
15. राज्य पर कर्ज का भारी बोझ भी है। राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के मुकाबले बकाया देनदारियों का अनुपात अखिल भारतीय स्तर से ऊपर बना हुआ है और लगभग 35-40² प्रतिशत के आसपास रहा है। ऋण का उच्च स्तर आने वाले वर्षों में राज्य पर पुनर्भुगतान के भारी बोझ का संकेत देता है।

दृष्टिकोण और अनुशंसाएँ

16. आयोग को राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों की शुद्ध आय में से पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के हिस्से का निर्धारण करने का दायित्व, सन्दर्भ की शर्तों के अंतर्गत सौंपा गया है। यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि छठे राज्य वित्त आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में राज्य के अपने शुद्ध कर राजस्व (जीएसटी क्षतिपूर्ति को छोड़कर) का 7.25 प्रतिशत (सवा सात प्रतिशत), पंचायती राज संस्थाओं और

शहरी स्थानीय निकायों, दोनों स्थानीय सरकारों को अनुदान के रूप में हस्तांतरित करने की अनुशंसा की थी ताकि वे अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक कर सकें और इस राशि का वितरण उनके बीच क्रमशः 75.1:24.9 के अनुपात में किया जाए।

17. यद्यपि, राज्य सरकार ने वर्ष 2020-2021 से 2023-24 के लिए 6.75 प्रतिशत और वर्ष 2024-25 के लिए 7 प्रतिशत हिस्सेदारी पर सहमति व्यक्त की। राजस्थान विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई कार्यवाही रिपोर्ट (एटीआर) में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के बीच क्रमशः 73.2:26.8 के अनुपात में निधियों के हस्तांतरण के पर सहमति व्यक्त की गई है।
18. इसलिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत हस्तांतरण, जो कि 7 प्रतिशत है, तथा राज्य के वित्त की वर्तमान स्थिति के आधार पर, जो 2024-25 के समान ही है आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्थानीय निकायों (शहरी और ग्रामीण) के लिए राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 7 प्रतिशत निधियों के हस्तांतरण की अनुशंसा करता है।
19. तदनुसार, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के बीच निधियों के वितरण के लिए राज्य सरकार की 2024-25 की कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृत अनुपात, जो कि 73.2:26.8 है, के अनुसार आयोग, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के बीच निधियों के वितरण को उसी अनुपात अर्थात् 73.2:26.8 में करने की अनुशंसा करता है।
20. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के स्वयं के कर राजस्व के बजटीय पूर्व-वास्तविक आंकड़ों के आधार पर विभाज्य पूल का परिमाणन किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उपलब्ध नवीनतम वास्तविक वित्तीय आंकड़े हैं। तदनुसार, वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का निम्नानुसार निकाला गया है:

तालिका 1: राज्य का स्वयं शुद्ध कर राजस्व (करोड़ रुपये में)

विवरण	2024-25 (पूर्व वास्तविक)
स्वयं का कर राजस्व	1,03,248.80
संग्रह की लागत	3,278.76
स्वयं का शुद्ध कर राजस्व	99,970.04

21. राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के आधार पर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 7 प्रतिशत की दर से स्थानीय निकायों को धनराशि का हस्तांतरण 6,997.90 करोड़ रुपये है। हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि ये आंकड़े वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य की वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं। अनुशंसित जनसंख्या अनुपात 73.2:26.8 के अनुरूप, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के बीच इन निधियों का विभाजन निम्नानुसार है:

तालिका 2: सातवें राज्य वित्त आयोग द्वारा 2025-26 के लिए अनुशंसित निधियों का हस्तांतरण (करोड़ रुपये में)

संस्थायें	2025-26
पंचायती राज संस्थायें	5,122.46
शहरी स्थानीय निकाय	1,875.44
कुल	6,997.90

22. उपरोक्त वर्णित निधियों का हस्तांतरण राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को स्थापना और अन्य प्रतिबद्ध व्यय के लिए प्रदान किए गए अनुदानों के अतिरिक्त होगा।

23. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ये हस्तांतरण अन्तरिम हैं और आयोग द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट में भी जाने वाली अनुशंसाओं के आधार पर संशोधन के अधीन हैं। प्रस्तावित हस्तांतरण के अनुसार राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को जारी की गई राशि, यदि कोई हो, इस अंतरिम रिपोर्ट के तहत अनुशंसित हस्तांतरणों के विरुद्ध समायोजित की जाएगी।

राशि का उपयोग

24. छठे राज्य वित्त आयोग ने अंतिम रिपोर्ट में बुनियादी और विकास कार्यों, राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता योजनाओं/गतिविधियों और राज्य सरकार की बजट घोषणाओं, लिंग अनुकूल स्थानों और (Gender Friendly Spaces) प्रोत्साहन अनुदान/निष्पादन अनुदान निम्नानुसार निर्धारित किये हैं;

तालिका 3: 2025-26 के लिए सातवें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित निधियों के उपयोग की प्राथमिकताएँ (प्रतिशत)

संस्थायें	बुनियादी और विकास कार्य	राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकतायें योजनायें / गतिविधियां और राज्य सरकार की बजट घोषणायें	लिंग अनुकूल स्थान (Gender Friendly Spaces)	प्रोत्साहन अनुदान/ निष्पादन अनुदान
पंचायती राज संस्थायें	55	40	2	3
शहरी स्थानीय निकाय	75	20	2	3

यह आयोग भी अंतरिम आधार पर उपरोक्त अनुसार निधियों के हस्तांतरण की अनुशंसा करता है।

A. बुनियादी और विकास कार्य

25. ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानीय निकायों को सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी और सीवरेज, सार्वजनिक सड़कों की सफाई, गंदगी और कूड़ा-कचरा हटाना, सार्वजनिक सड़कों को रोशन करना, आग बुझाने और आग लगने पर जान-माल की सुरक्षा, आपत्तिजनक या खतरनाक व्यवसायों का विनियमन, मृत पशुओं का निपटान, सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण, जन्म और मृत्यु पंजीकरण आदि जैसी बुनियादी नागरिक सेवाएँ प्रदान करनी होती हैं। इसके अतिरिक्त, 15वें वित्त आयोग के आदेशानुसार, वायु गुणवत्ता में सुधार भी 10 लाख से अधिक की आबादी वाले नगर निगमों की अतिरिक्त जिम्मेदारी है। इसलिए, इन कार्यों के लिए राशि का एक बड़ा हिस्सा निर्धारित किया गया है।

B. राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता योजनाओं/गतिविधियों और राज्य सरकार की बजट घोषणा

26. छठे राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता वाली योजनाओं/गतिविधियों के साथ राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं को भी सम्मिलित करना उचित है। अनुसूचित राशि का उपयोग व्यापक जनहित में राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता वाली योजनाओं/गतिविधियों और बजट घोषणाओं के लिए किया जा सकता है।

C. लिंग अनुकूल स्थान (Gender Friendly Spaces)

27. महिला सशक्तिकरण पर मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन (नई दिल्ली, 5-7 जनवरी, 2023) में लिए गए निर्णय के अनुरूप, चिन्हित प्रमुख कार्य बिंदुओं में से एक महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना था। इस उद्देश्य के लिए, छठे राज्य वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकाय को देय अनुदान राशि की 2 प्रतिशत राशि लैंगिक-अनुकूल वातावरण बनाने हेतु गतिविधियों के लिए निर्धारित करने की अनुशंसा की है। पंचायती राज विभाग अपने पग दिनांक 23.05.2023 के द्वारा उक्त हिस्सेदारी को क्रियान्वित करने हेतु सूचित किया गया है।
28. सातवाँ राज्य वित्त आयोग, 2025-26 के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट में, इस आवंटन को, अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक, एक अंतरिम उपाय के रूप में बनाए रखना उचित समझता है। तदनुसार, आयोग हस्तांतरित निधि की 2 प्रतिशत राशि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी

स्थानीय निकायों में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया जाना उल्लेखित करता है;

- I सभी पंचायती राज संस्थाओं में हाथ धोने की सुविधा सहित अलग-अलग शौचालय।
- II सभी कार्यस्थलों पर महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक समितियों के बारे में जानकारी वाला डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए।
- III प्रत्येक कार्यालय में महिलाओं की अध्यक्षता में एक सहायता केंद्र होना चाहिए, जिसमें महिला कल्याण की योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में सभी जानकारी हो ताकि उनकी शिकायतों का निवारण सुगम हो सके।
- IV पंचायती राज संस्थाओं के सभी कार्यालयों में महिला आगंतुकों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था हो।

स्थानीय निकाय इस निर्धारित राशि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करेंगे तथा सुरक्षित एवं अधिक समावेशी सार्वजनिक संस्थानों के निर्माण में सार्थक योगदान देंगे, आयोग ऐसी अपेक्षा करता है। उपरोक्त बिंदु संख्या I से IV में अनुसूचित कार्यवाहियां शहरी स्थानीय निकायों में भी लागू होंगी।

D. प्रोत्साहन अनुदान/ निष्पादन अनुदान

29. छठे राज्य वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन अनुदान के रूप में 3 प्रतिशत धनराशि निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा था, जो राजस्व प्रदर्शन में सुधार से जुड़ा था—विशेष रूप से, स्वयं के कर/गैर-कर राजस्व में वृद्धि और बकाया राशि की वसूली से। 2020-25 की अवधि के लिए लागू किया, इस योजना को राजकोषीय उत्तरदायित्व और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए।
30. सातवाँ राज्य वित्त आयोग अंतरिम अवधि के दौरान भी इस गति को बनाए रखने के महत्व को स्वीकार करता है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, राज्य आयोग प्रोत्साहन योजना को उसके मौजूदा स्वरूप में बनाए रखने का प्रस्ताव करता है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों, दोनों द्वारा राजस्व संग्रहण के स्व-स्रोत में मापनीय सुधार पर जोर दिया गया है। शहरी स्थानीय निकायों के मामले में, राज्य आयोग यह भी अभिलिखित करता है कि केंद्रीय वित्त आयोग ने अनुदान जारी करने को संपत्ति कर सुधारों

और जीएसडीपी वृद्धि के अनुरूप वार्षिक वृद्धि से जोड़ा है। इसलिए, अंतरिम वर्ष के दौरान इस प्रोत्साहन योजना को जारी रखने से ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों, दोनों को राजस्व जुटाने और राजकोषीय अनुशासन को मज़बूत करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण

31. छठे राज्य वित्त आयोग ने जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के बीच क्रमशः 5:20:75 के वितरण अनुपात की अनुशंसा की थी। वर्तमान आयोग पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के बीच राशि के वितरण के लिए इसी अनुपात की अनुशंसा करता है। पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों को राशि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जायेगा:

तालिका 4: 2025-26 के लिए पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित राज्य वित्त आयोग निधि का वितरण (करोड़ रुपये में)

	55% बुनियादी और विकास कार्य के लिए	40% राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता योजनाओं/ गतिविधियों और राज्य सरकार की बजट घोषणा के लिए	3% लिंग अनुकूल स्थानों के लिए	2% प्रोत्साहन अनुदान/ निष्पादन अनुदान के लिए	कुल
जिला परिषद (5%)	141	102	8	5	256
पंचायत समिति (20%)	563	410	31	20	1,024
ग्राम पंचायत (75%)	2,113	1,537	115	77	3,842
कुल	2,817	2,049	154	102	
PRI's को कुल SFC हस्तांतरण					5,122

पंचायती राज संस्थाओं के लिए जिलेवार वितरण हेतु मानदंड और भार

32. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जिलावार राशि आवंटन हेतु उपलब्ध विकल्पों की सावधानीपूर्वक जाँच की है। सभी 41 जिलों के लिए अद्यतन आँकड़ों की उपलब्धता की चुनौती को ध्यान में रखते हुए और राशि हस्तांतरण में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, आयोग द्वारा 33 जिलों के बीच राशियों के पारस्परिक वितरण के लिए छठे राज्य वित्त आयोग द्वारा अपनाए गए मानदंडों को बनाए रखने की अनुशंसा करता है।

तालिका 5: जिलों में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित राशि के वितरण हेतु मानदंड

क्र.सं.	पैरामीटर	वजन (%)
1	जनसंख्या	40
2	भौगोलिक क्षेत्र	25
3	अनुसूचित जाति की जनसंख्या	5
4	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	5
5	बालिका शिक्षा (कक्षा 8 तक)	5
6	एसईसीसी 2011 के अनुसार 7 मानदंडों पर वंचन	10
7	स्वयं का औसत राजस्व संग्रहण (2015-20)	10
	कुल	100

33. राज्य आयोग का मानना है कि अंतरिम अवधि के दौरान इन मानदंडों को जारी रखने से राशि हस्तांतरण में स्थिरता सुनिश्चित होगी और पंचायती राज संस्थाओं को राशि लभ्यता में देरी से बचा जा सकेगा, साथ ही प्रस्तावित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के आधार पर नए जिलों के लिए परिष्कृत और अद्यतन मानदंड विकसित करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। छठे राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित मानदंडों और जिलेवार समग्र भार के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जिलेवार हिस्सा और राशि निम्नानुसार है:

तालिका 6: 2025-26 के लिए जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के लिए निधियों का पारस्परिक बंटवारा

क्र.सं.	ज़िला (ज़िला परिषद)	ज़िलावार समग्र भार (%)	ज़िलेवार आवंटन (करोड़ रुपये में)
1	अजमेर	3.068	157.16
2	अलवर	4.453	228.10
3	बांसवाड़ा	3.369	172.58
4	बारां	2.037	104.35
5	बाड़मेर	5.377	275.43
6	भरतपुर	2.783	142.56
7	भीलवाड़ा	3.557	182.22
8	बीकानेर	4.312	220.89
9	बूंदी	2.321	118.89
10	चित्तौड़गढ़	2.527	129.45
11	चुरू	3.102	158.90
12	दौसा	2.295	117.56
13	धौलपुर	1.520	77.86
14	डूंगरपुर	2.601	133.25
15	गंगानगर	2.915	149.32
16	हनुमानगढ़	2.673	136.92
17	जयपुर	5.367	274.94
18	जैसलमेर	3.660	187.49
19	जालौर	3.042	155.83
20	झालावाड़	2.158	110.55
21	झुंझुनू	2.366	121.21
22	जोधपुर	4.964	254.29
23	करौली	2.229	114.18
24	कोटा	1.622	83.09
25	नागौर	4.605	235.91
26	पाली	3.302	169.15
27	प्रतापगढ़	1.738	89.03
28	राजसमंद	1.839	94.20
29	सवाई माधोपुर	1.865	95.53

क्र.सं.	ज़िला (ज़िला परिषद)	ज़िलावार समग्र भार (%)	ज़िलेवार आवंटन (करोड़ रुपये में)
30	सीकर	3.034	155.43
31	सिरोही	1.834	93.95
32	टोंक	2.474	126.73
33	उदयपुर	4.988	255.51
	कुल	100	5122.46

34. पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के बीच राशि का पारस्परिक वितरण संबंधित पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की जनगणना-2011 के अनुसार जनसंख्या के आधार पर किया जाना है।

शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरण

35. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए निर्धारित हस्तांतरण की हिस्सा राशि 1,875.44 करोड़ रुपये होती है। शहरी शासन के सभी स्तरों पर संसाधनों के सुचारू प्रवाह और निरंतरता बनाए रखने के लिए, शहरी स्थानीय निकाय के तीनों स्तरों - नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं - के बीच वितरण का वही अनुपात बनाए रखने का सुझाव देता है जो छठे राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था।

36. छठे राज्य वित्त आयोग ने अनुशंष की थी कि शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए विभाज्य निधि का 70 प्रतिशत सभी यूएलबी के बीच वितरित किया जाए, जबकि शेष 30 प्रतिशत विशेष रूप से नगर पालिकाओं के लिए निर्धारित की जाए, क्योंकि उनके संसाधन आधार अपेक्षाकृत सीमित और वित्तीय स्थिति कमजोर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, सातवें राज्य वित्त आयोग भी उक्त वितरण सूत्र को बनाए रखने की अनुशंसा करता है।

37. इस प्रयोजन के लिए, जनगणना 2011 के जनसंख्या आंकड़ों को एक समान संदर्भ के रूप में अपनाया गया है, जैसा कि ToR में उल्लेखित है।

- शहरी स्थानीय निकायों के लिए **विभाज्य पूल का 70% सभी शहरी स्थानीय निकायों** के मध्य निम्न आधार पर वितरित किया जाएगा:
 - जनसंख्या – 55%
 - क्षेत्रफल – 15%
- शहरी स्थानीय निकायों के लिए **विभाज्य पूल का 30% सभी नगरपालिकाओं** के मध्य निम्न आधार पर वितरित किया जाएगा:
 - **जनसंख्या – 20%**
 - **स्वयं की आय में विचलन – 10%** (किसी नगरपालिका की पाँच-वर्षीय (2015-20) औसत प्रति व्यक्ति स्वयं की आय और सबसे अधिक औसत प्रति व्यक्ति स्वयं की आय वाली नगरपालिका से विचलन के आधार पर गणना की गई है)।

38. शहरी स्थानीय निकायों के लिए हस्तांतरित राशि का उपयोग

शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित कुल हस्तांतरित राशि में से, आयोग निम्नलिखित आवंटन की अनुशंसा करता है:

- बुनियादी और विकास कार्यों के लिए 75 प्रतिशत,
- राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता वाली योजनाओं/गतिविधियों और राज्य सरकार की बजट घोषणाओं के लिए 20 प्रतिशत
- लिंग-अनुकूल स्थानों के निर्माण के लिए 2 प्रतिशत, और
- प्रोत्साहन/निष्पादन अनुदान के लिए 3 प्रतिशत।

प्रोत्साहन/निष्पादन अनुदान के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का उपयोग शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इस रिपोर्ट के पैरा 29 में उल्लिखित रूपरेखा के अनुसार किया जाएगा।

39. पूर्व वर्णित विवरण चर्चाओं और अपनाए गए मापदंडों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शहरी स्थानीय निकायों का हिस्सा निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

तालिका 7: सातवें राज्य वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए
हस्तांतरित धनराशि का वितरण (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	पैरामीटर	नगर निगम	नगर परिषदें	नगर पालिकाएं	कुल
1	जनसंख्या 55%	459.04	327.80	244.65	1,031.49
2	क्षेत्र 15%	64.92	168.13	48.27	281.32
3	शेष 30% नगर पालिकाओं के लिए			562.63	562.63
4	कुल निधि	523.96	495.93	855.55	1,875.44
	कुल निधियों में से, उनका उपयोग निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है;				
A	बुनियादी और विकास कार्यों के लिए निधि (75%)	392.97	371.95	641.66	1,406.58
B	राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता वाली योजनाओं/ गतिविधियों के लिए अनुदान और राज्य सरकार की बजट घोषणा (20%)	104.79	99.19	171.11	375.09
C	लिंग अनुकूल स्थान (2%)	10.48	9.92	17.11	37.51
D	प्रोत्साहन अनुदान/ निष्पादन अनुदान (3%)	15.72	14.88	25.67	56.26

40. यह देखा गया है कि कुछ नगरपालिकाओं को सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण स्वच्छता सेवाएँ प्रदान करने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि स्वच्छता सबसे आवश्यक नागरिक कार्यों में से एक है। इसलिए आयोग का अभिमत है कि एक अंतरिम व्यवस्था के रूप

में, नगर पालिकाएं छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप की नगर पालिकाएं स्वच्छता सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें दिए गए अनुदान के एक हिस्से का उपयोग वेतन घटक हेतु भी कर सकती हैं।

पंद्रहवें केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान

41. वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें केंद्रीय वित्त आयोग का अनुदान निम्नानुसार है:

तालिका 8: 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान (करोड़ रुपये में)

संस्थाये	2025-26 (बजट अनुमान)
पंचायती राज संस्थाये	3087.00
शहरी स्थानीय निकाय	1818.47
कुल	4905.47

42. उपरोक्त अनुदान इस अंतरिम रिपोर्ट में अनुशंसित अनुदानों के अतिरिक्त हैं। स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों का पारस्परिक वितरण इस आयोग द्वारा अनुशंसित विनिर्देशों और मानदंडों के आधार पर किया जाता है, जो पंद्रहवें केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन है।
43. छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ही, राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृति को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या जनप्रतिनिधि की व्यक्तिगत आवश्यकताओं/ ज़रूरतों पर कोई धनराशि खर्च नहीं की जानी चाहिए। इसी प्रकार, राज्य वित्त आयोग के अनुदान से प्रदर्शन विज्ञापनों, वाहन खरीद, कर्मचारियों (सफाई कर्मचारियों और राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कर्मचारियों को छोड़कर) के वेतन और भत्तों के भुगतान पर कोई धनराशि खर्च नहीं की जानी चाहिए।

44. महामहिम राज्यपाल महोदय के दिनांक 01.08.2025 के आदेश के अनुसार, सातवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएँ वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रभावी अनुशंसाएँ। आयोग द्वारा पुनः यह दोहराया जाता है कि, अंतिम रिपोर्ट में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किए जाएँगे।
45. उपरोक्त अनुशंसाओं में महामहिम राज्यपाल महोदय के दिनांक 01.08.2025 के आदेश के अनुसार, आयोग का कार्यकाल डेढ़ वर्ष का है। हमारा प्रयास होगा कि निर्धारित तिथि तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाए। हालाँकि, यदि अंतिम रिपोर्ट में नियंत्रण से परे किसी अप्रत्याशित कारण से देरी होती है, तो आयोग नहीं चाहेगा कि स्थानीय निकायों को राशि की समस्या का सामना करना पड़े। अतः, ऐसी किसी भी आकस्मिकता से बचने के लिए, आयोग अनुशंसा करता है कि अंतिम रिपोर्ट उपलब्ध होने तक, राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का अनुपात, हिस्सा, वितरण का सूत्र और इस अंतरिम रिपोर्ट में आयोग द्वारा अनुशंसित अन्य सभी मानदंड इन स्थानीय निकायों को राशि हस्तांतरण के लिए लागू रहें सकेंगे।

सिफारिशों का सारांश

46. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सिफारिशों का सारांश इस प्रकार है:
47. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 7 प्रतिशत, 6997.90 करोड़ रुपये, आवंटित किया जाएगा। (पैरा 21)
48. यह अनुशंसा की जाती है कि आवंटित राशि को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के बीच ग्रामीण-शहरी जनसंख्या अनुपात 73.2:26.8 के अनुसार वितरित किये जाने की अनुशंसा की जाती है जाए। इस अनुपात के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए आवंटन 5122.46 करोड़ रुपये और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 1875.46 करोड़ रुपये होगा (तालिका 2)
49. अनुशंसित राशि का 55 प्रतिशत मूलभूत एवं विकास कार्यों के वित्तपोषण हेतु, 40 प्रतिशत राष्ट्रीय एवं राज्य प्राथमिकता वाली योजनाओं/गतिविधियों तथा राज्य सरकार की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु, 2 प्रतिशत लैंगिक-अनुकूल स्थानों के निर्माण हेतु, तथा 3

प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को निर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन हेतु प्रोत्साहन अनुदान के रूप में आवंटित किया जाए। (तालिका 3)

50. अनुशंसित राशि का 75 प्रतिशत मूलभूत एवं विकास कार्यों हेतु, 20 प्रतिशत राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता वाली योजनाओं/गतिविधियों तथा राज्य सरकार की बजट घोषणाओं के समर्थन हेतु, 2 प्रतिशत लैंगिक-अनुकूल स्थानों के निर्माण हेतु तथा 3 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों को निर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन हेतु प्रोत्साहन अनुदान के रूप में जारी किया जा सकता है। (तालिका 3)
51. पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों के बीच निधियों का वितरण इस प्रकार होगा: जिला परिषदों के लिए 5%, पंचायत समितियों के लिए 20% और ग्राम पंचायतों के लिए 75%। (तालिका 4)
52. पंचायती राज संस्थाओं के हिस्से का जिलेवार वितरण अनुशंसित मानदंडों और भार के आधार पर किया जाएगा। (तालिका 5)
53. शहरी स्थानीय निकायों हेतु अनुशंसित हस्तांतरण में से, 70 प्रतिशत जनसंख्या (55 प्रतिशत) और क्षेत्रफल (15 प्रतिशत) के आधार पर सभी शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित किया जा सकता है। शेष 30 प्रतिशत में से 20 प्रतिशत सभी नगरपालिकाओं में जनसंख्या के आधार पर और 10 प्रतिशत उनकी पाँच-वर्षीय औसत प्रति व्यक्ति स्वयं की आय और उच्चतम औसत प्रति व्यक्ति स्वयं की आय (10 प्रतिशत) वाली नगरपालिका से विचलन के अनुपात में वितरित किया जा सकता है। (पैरा 37)
54. नगरपालिकाएँ अनुशंसित अनुदान में से वेतन घटक सहित स्वच्छता सेवाओं की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं। (पैरा 40)
55. पंद्रहवें केंद्रीय वित्त आयोग के वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान, छठे राज्य वित्त आयोग) द्वारा अनुशंसित मानदंडों और भार के अनुसार, आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन,

पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को वितरित किए जा सकेंगे। (पैरा 41 और 42)

56. निधियों का उपयोग किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या जनप्रतिनिधि के व्यक्तिगत व्यय के लिए नहीं किया जाएगा। (पैरा 45)

57. इस अंतरिम रिपोर्ट में प्रस्तुत सिफारिशें अंतिम रिपोर्ट की उपलब्धता तक प्रभावी रहेंगी। (पैरा 45)



(अरुण चतुर्वेदी)

अध्यक्ष

जयपुर,

01 सितंबर, 2025



(नरेश कुमार ठकराल)

सदस्य सचिव

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(वित्त आयोग एवं आर्थिक मामलात अनुभाग)

सप्तम राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत की गयी वर्ष 2025-26 के लिए अंतरिम रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई (Action Taken) का ज्ञापन।

सप्तम राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्यपाल महोदय के आदेश दिनांक 1 अगस्त, 2025 (वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त, 2025 द्वारा अधिसूचित) द्वारा वर्ष 2025 से 2030 की, पाँच वर्ष की अवधि हेतु अपनी रिपोर्ट 1 वर्ष 6 माह में देने के निर्देश के साथ किया गया। आयोग को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया था। आयोग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट दिनांक 02 सितम्बर, 2025 को राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत की गयी है।

2. सप्तम राज्य वित्त आयोग की यह अंतरिम रिपोर्ट वर्ष 2025-26 से संबंधित है तथा उसमें की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन संविधान के अनुच्छेद 243 आई(4) तथा 243 वाई(2) के अनुसरण में सदन के पटल पर रखा जा रहा है।
3. राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में की गयी अनुशंखाओं पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया है, जिनका विवरण एवं राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	आयोग की सिफारिशों का सार	राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का विवरण
1.	<p>राज्य के शुद्ध कर राजस्व में हिस्सा :</p> <p>राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 7.00 प्रतिशत हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को अंतरित किया जाये।</p> <p>राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 7.00 प्रतिशत हिस्से का वितरण पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के मध्य 73.2 एवं 26.8 प्रतिशत के अनुपात में किया जाये।</p> <p>आयोग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए वर्ष 2024-25 (पूर्व वास्तविक) के आंकड़ों के आधार पर राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व में से पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के विभाज्य पूल का परिमाणन किया गया है, जिसके अनुसार 6997.90 करोड़ रुपये का अनुदान देय है। आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये आंकड़े वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य की वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर परिवर्तन के अधीन है।</p> <p>पंचायती राज संस्थाओं की हिस्सा राशि की 55 प्रतिशत राशि बुनियादी एवं विकास कार्यों के लिए, 40 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय/राज्य की प्राथमिकता योजनाओं/ गतिविधियों के साथ राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं के लिए, 2 प्रतिशत राशि लिंग अनुकूल स्थानों (Gender Friendly Spaces) को बनाने के लिए एवं</p>	<p>राज्य सरकार द्वारा आयोग की अनुशंखा को स्वीकार किया गया।</p>

	<p>3 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में वितरित की जायें।</p> <p>शहरी स्थानीय निकायों की हिस्सा राशि की 75 प्रतिशत राशि बुनियादी एवं विकास कार्यों के लिए, 20 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय/राज्य की प्राथमिकता योजनाओं/गतिविधियों के साथ राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं के लिए 2 प्रतिशत राशि लिंग अनुकूल स्थानों (Gender Friendly Spaces) को बनाने के लिए एवं 3 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन अनुदान के रूप में वितरित की जायें।</p>	
2.	<p>पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित हिस्से का वितरण :</p> <p>पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व में से आवंटित की जाने वाली राशि के जिलेवार वितरण का आधार एवं विवरण अंतरिम रिपोर्ट के पैरा 32 एवं 33 में दिया गया है।</p> <p>प्रत्येक जिले के निर्धारित हिस्से में से जिला परिषद को 5 प्रतिशत, पंचायत समितियों को 20 प्रतिशत एवं ग्राम पंचायतों को 75 प्रतिशत भाग दिया जाये। पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के बीच राशि का वितरण संबंधित पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत की जनगण-2011 के अनुसार जनसंख्या के आधार पर किया जावे।</p>	राज्य सरकार द्वारा आयोग की अनुशंसा को स्वीकार किया गया।
3.	<p>शहरी स्थानीय निकायों के लिए निर्धारित हिस्से का वितरण :</p> <p>शहरी स्थानीय निकायों के लिए विभाज्य पूल की राशि का वितरित निम्नानुसार किया जाये:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • सभी शहरी स्थानीय निकायों के मध्य <ul style="list-style-type: none"> ○ जनसंख्या — 55% ○ क्षेत्रफल — 15% • सभी नगरपालिकाओं के मध्य <ul style="list-style-type: none"> ○ जनसंख्या — 20% ○ स्वयं की आय में विचलन— 10% 	राज्य सरकार द्वारा आयोग की अनुशंसा को स्वीकार किया गया।
4.	<p>पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग का अनुदान :</p> <p>पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के लिये पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों का पारस्परिक वितरण आयोग द्वारा अनुशंसित विनिर्देशों और मापदण्डों के आधार पर किया जावे।</p>	राज्य सरकार द्वारा आयोग की अनुशंसा को स्वीकार किया गया।
5.	<p>आयोग ने अपने अंतरिम प्रतिवेदन में यह अनुशंसा भी की है कि अंतिम रिपोर्ट उपलब्ध होने तक, राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का अनुपात, हिस्सा, वितरण का सूत्र और इस रिपोर्ट में आयोग द्वारा अनुशंसित अन्य सभी मानदंड इन स्थानीय निकायों को राशि हस्तांतरण के लिए लागू रह सकेंगे।</p>	राज्य सरकार द्वारा आयोग की अनुशंसा को स्वीकार किया गया।

4. आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में की गयी सिफारिशें वर्ष 2025-26 की अंतरिम व्यवस्थाओं के रूप में हैं। अतः आयोग की अंतिम रिपोर्ट में की जाने वाली सिफारिशों के अंतर्गत ये परिवर्तनीय हैं।
5. क्रियान्विति:
- (i) राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व से अंतरण के संबंध में आदेश पंचायती राज विभाग एवं स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रसारित किये जायेंगे। पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों हेतु निर्धारित राशि 2 किशतों में जारी की जायेगी।
- (ii) आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत अंतरित राशि के उपयोग एवं वितरण के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश पंचायती राज विभाग एवं स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रसारित किये जायेंगे।

दिनांक : 04 फरवरी 2026



(दिया कुमारी)
उपमुख्यमंत्री (वित्त)